

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्या: 04/2023

दायर दिनांक: 02.02.2023

निर्णय दिनांक 31.10.2025

—: अनवान :-

श्री किशनाराम पिता श्री नाथूराम जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर,
तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.) — अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती खीमी बाई पत्नी श्री माला जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सायरी देवी पत्नी श्री जीताराम जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्री नवीन पिता श्री जीताराम, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्री कैलाश पिता श्री जीताराम, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती डाली पुत्री श्री जीताराम जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्री रोडाराम पिता श्री माला जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्री भंवरलाल पिता श्री माला जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्री भंवरलाल पिता श्री माला जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री विजयराम जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
10. श्री निर्मल पिता श्री विजयराम जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
11. श्रीमती भावना पुत्री श्री विजयराम जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)



Jan

12. श्री इन्द्रजीत पिता श्री किशनाराम जी, जाति सालवी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
 13. श्री ओगडनाथ पिता श्री गणेशनाथ जाति नाथ, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
 14. श्रीमती सीतानाथ पुत्री श्री सुजानाथ जी, जाति नाथ, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
 15. श्री लक्ष्मण पिता श्री छगना राम जी, उम्र वयस्क, निवासी दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
- रेस्पोंडेन्टगण

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, भीम द्वारा प्रकरण संख्या 1 सन् 2022 प्रार्थना-पत्र श्रीमती खीमी देवी व अन्य बनाम किशनाराम व अन्य में दिनांक 05/12/2022 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील

उपस्थित:-

- 1- श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्त
- 2- श्री दिग्विजय सिंह, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 11
- 3- रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 से 15 अनुपस्थित(एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार भीम द्वारा प्रकरण संख्या 01/2022 प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2022 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धी एवं तथ्य सम्बन्धी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से लगायत 11 ने धारा 183 (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी संख्या 277 क्षेत्रफल 0.7187 गैर मु. रास्ता की भूमि उनके खाते व कब्जे हैं तथा विपक्षीगण ने जबरन इस पर कब्जा कर अवैध अतिक्रमण कर लिया। उक्त पत्रावली दिनांक 16.06.2022 को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलान्त की ओर से एडवोकेट इन्द्रजीत जी खत्री ने दिनांक 06.07.2022 को वकालतनामा प्रस्तुत किया व पत्रावली जवाब के लिए नियत की गई। अपीलान्त एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से लगायत 11 एक ही जाति के होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। इस कारण अपीलान्त की ओर से पत्रावली में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.08.2022 को प्रस्तुत किया गया।



Signature

उक्त आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोंडेण्ट्स की ओर से दिनांक 09.09.2022 को पेश हुआ और पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के प्रार्थना पत्र की बहस हेतु नियत किया गया तथा पटवारी की रिपोर्ट अप्राप्त होने के कारण पत्रावली पटवारी रिपोर्ट हेतु भी नियत की गई। दिनांक 05.12.2022 को पटवारी की रिपोर्ट पेश हुई तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर आदेश नहीं कर मूल आवेदन का ही अपीलान्ट्स को बिना जवाब का अवसर दिये व सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत आदेश पारित कर अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जब आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था, तो उसे सर्वप्रथम उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिए था, जो नहीं कर मूल प्रार्थना-पत्र में आदेश पारित करने में भूल की है। अपीलान्ट को धारा 183 (बी) का जवाब का अवसर दिये बिना एवं उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से आदेश पारित करने में भूल की है। वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता है तथा सेटलमेन्ट के समय गलत रूप से रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 11 के पूर्वाधिकारियों के नाम अंकित हो गई। राजस्व रेकर्ड में सेटलमेन्ट वालों को राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का अधिकार नहीं था और सहवन से गलत अंकन हो भी गया, तो कानूनन वह अवैध व शून्य रहता है। इस सम्बन्धित जवाबदेही अपीलान्ट की तरफ से दिया जाना शेष था, राजस्व रेकार्ड का रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 11 प्रार्थीगण ने नाजायज लाभ उठाकर तंग एवं परेशान करने के आशय से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर आवेदन प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मौके पर उक्त भूमि रास्ता प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है। पत्रावली पर मौजूद उक्त स्थिति में बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, वह विधि सम्मत नहीं होकर काबिल खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.12.2022 को पारित किया, जिसकी नकल का प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.12.2022 को पेश किया, नकल दिनांक 05.01.2023 को प्राप्त हुई, नकल मिलते ही अपीलान्ट द्वारा यह अपील तैयार करवा अन्दर मयाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे।



[Handwritten signature]

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिती दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 12 से 15 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धी एवं तथ्य सम्बन्धी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 11 ने धारा 183 (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी संख्या 277 क्षेत्रफल 0.7187 गैर मु. रास्ते की भूमि उनके खाते व कब्जे की हैं तथा विपक्षीगण ने जबरन इस पर कब्जा कर अवैध अतिक्रमण कर लिया। उक्त पत्रावली दिनांक 16.06.2022 को दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 06.07.2022 को वकालतनामा प्रस्तुत किया व पत्रावली जवाब के लिए नियत की गई। अपीलान्त एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 11 एक ही जाति के होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। इस कारण अपीलान्त की ओर से पत्रावली में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2022 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेण्ट्स की ओर से दिनांक 09.09.2022 को पेश हुआ और पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र की बहस हेतु नियत किया गया तथा पटवारी की रिपोर्ट अप्राप्त होने के कारण पत्रावली पटवारी रिपोर्ट हेतु भी नियत की गई। दिनांक 05.12.2022 को पटवारी की रिपोर्ट पेश हुई तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर आदेश नहीं कर मूल आवेदन का ही अपीलान्ट्स को बिना जवाब का अवसर दिये व सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत आदेश पारित कर अपीलान्त के विरुद्ध आदेश पारित करने में भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने जब आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र विचारधीन था, तो उसे सर्वप्रथम उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिए था, जो नहीं कर मूल प्रार्थना पत्र में आदेश पारित करने में भूल की हैं। वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता



[Handwritten signature]

हैं तथा सेटलमेन्ट के समय गलत रूप से रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 11 के पूर्वाधिकारियों के नाम अंकित हो गई। राजस्व रेकॉर्ड में सेटलमेन्ट वालों को राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करने का अधिकार नहीं था और सहवन से गलत अंकन हो भी गया, तो कानूनन वह अवैध व शून्य रहता है। इस सम्बन्धित जवाबदेही अपीलान्ट की तरफ से दिया जाना शेष था, राजस्व रेकॉर्ड का रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 11 प्रार्थीगण ने नाजायज लाभ उठाकर तंग एवं परेशान करने के आशय से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर आवेदन प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि मौके पर उक्त भूमि रास्ता प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है। पत्रावली पर मौजूद उक्त स्थिति में बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, वह विधि सम्मत नहीं होकर काबिल खारिज है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 11 ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत व नियमानुसार है। तथा संक्षिप्त कार्यवाही विवरण (SUMMARY PROCEEDINGS) में O7R11 लागू नहीं होती है। 183 बी में अनुसूचित जाति के विरुद्ध निर्णय पारित किया जा सकता है यदि वह अतिक्रमी है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर आदेश नहीं कर मूल आवेदन का ही अपीलान्ट्स को बिना जवाब का अवसर दिये व बिना सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत आदेश पारित कर अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की सपठित धारा 151 जा.दी. की दिनांक 10.08.2022 को प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कार्यवाही विवरण देखने पर यह जाहिर हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र का कोई



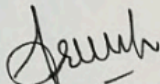
John

प्रसंज्ञान नहीं लिया जाकर प्रकरण का निर्णय सिधे ही गुणावगुण पर कर दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित हैं।

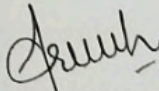
अतः इस स्तर पर मैं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के गुणावगुण पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय को निरस्त करना उचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) की जाती है कि वह मूल प्रार्थना पत्र के निर्णय से पूर्व अपीलान्त के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 दिनांक 08.10.2022 की सुनवाई पूर्ण कर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जाकर मूल प्रार्थना पत्र पर निर्णय करे। मैं, यहां पर पुनः स्पष्ट करता हूँ कि इस निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसके गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार भीम को लौटायी जावे।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

